

# छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

## नोटिस

क्रमांक 76 (Mis.) /  
II-14-1/2024

बिलासपुर, दिनांक 10 फरवरी, 2025

रजिस्ट्री नोटिस क्रमांक 70 दिनांक 06.02.2025 तथा शुद्धि पत्र क्रमांक 73 दिनांक 10.02.2025 के माध्यम से रजिस्ट्री के कुल 77 अधिकारियों / कर्मचारियों से शासकीय लेखा प्रशिक्षण में सम्मिलित होने के संबंध में अपनी "सहमति" अथवा "असहमति" दिनांक 12.02.2025 को सायं 05.00 बजे तक जमा करने हेतु निर्देशित किया गया था। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय सेवायें (नियुक्ति, सेवा की शर्तें तथा आचरण) नियम, 2017 में लेखा संवर्ग के उपरोक्त स्वीकृत पदों हेतु वर्तमान में कोई नियम नहीं बने हैं, अतः उपरोक्त जारी नोटिस एवं शुद्धि पत्र की कार्यवाही तथा प्राप्त आवेदन पत्रों को नस्तिबद्ध किया जाता है।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के  
आदेशानुसार


सही /-  
(के. विनोद कुजूर)  
रजिस्ट्रार जनरल

पृ. क्रमांक 2820 /  
II-14-1/2024

बिलासपुर, दिनांक 10 फरवरी, 2025

### प्रतिलिपि:-

डिप्टी रजिस्ट्रार (आवक-जावक शाखा), छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की ओर उपरोक्त नोटिस की छायाप्रति संलग्न सूची में दर्शित समस्त 77 अधिकारियों / कर्मचारियों को शीघ्र तामिली कराने हेतु।

  
(के. विनोद कुजूर)  
रजिस्ट्रार जनरल